फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : 43- परिवहन विभाग वित्तीय वर्ष 2021-22 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

अनुदान संख्या- 43 (पूंजीगत)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
5055 00 800 03 00 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय -03-परिवहन आयुक्त कार्यालय -14-मोटर गाड़ियों का क्रय	50.00	50.00	47.13	47.13	2.87
योग-	**50.00**	**50.00**	**47.13**	**47.13**	**2.87**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान संख्या- 43 (पूंजीगत)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग
7	8	9	10	11	12
4059 01 051 03 00 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, गोरखपुर का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य					
	0.00	47.13	47.13	47.13	47.13
योग -	**0.00**	**47.13**	**47.13**	**47.13**	**47.13**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) बचत के कारण निम्नानुसार हैः-

वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग-31 के शासनादेश संख्या-3/2021/आर०जी-515/2021/10-2099/259/2020, दिनांक 31.07.2021 के प्रस्तर-2 में बिन्दु संख्या-4 द्वारा निर्देशित किया गया है कि विभागों द्वारा नये वाहनों का क्रय न किया जाये। पूर्व से विद्यमान जो वाहन निष्प्रयोज्य हो रहे हैं, उनके स्थान पर न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन कर आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन अनुबन्धित किया जाये।

अतः उक्त लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय की मद संख्या 14-मोटर गाड़ियों का क्रय में प्रावधानित धनराशि रू 50.00 लाख की बचत सम्भावित होने के कारण।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैंः-

शासनादेश संख्या-30/2018/794/30-3-18-15बी/2017टीसी, दिनांक 23.03.2018 द्वारा संभागीय परिवहन कार्यालय, गोरखपुर के निर्माण हेतु चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये लागत आगणन रू 1310.40 लाख के सापेक्ष आंकलित लागत रू 573.84 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशियॉ क्रमशः रू 286.92 लाख एवं रू 286.92 लाख अर्थात कुल रू 573.84 लाख का भुगतान सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को किया गया, जिससे निर्माण कार्य कराया गया। नव-निर्मित परिवहन कार्यालय, गोरखपुर हेतु संभागीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा दर्शाये गये अतिरिक्त कार्यो के दृष्टिगत परिवहन आयुक्त उ०प्र० कार्यालय के पत्र दिनांक 22.03.2021 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू 622.62 लाख की प्रशासकीय एवं अन्तर धनराशि रू 48.78 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त, तदोपरान्त प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पुनरीक्षित लागत रू 622.62 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 620.97 लाख आंकलित की गयी , जिसके अंतर की लागत वृद्धि धनराशि रू0 47.13 लाख (620.97-573.84=47.13) भी अंकित की गयी । अत: अनुदान 43 में पूंजीगत पक्ष के सम्बन्धित मद में धनराशि की उपलब्धता तथा प्रश्नगत निर्माण कार्य को कराये जाने हेतु रू 47.13 लाख की आवश्यकता होने के कारण।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

संख्या-आर0ई0-142 /ई-9-यू0ओ0-ई-9- 2105 /दस-2021, दिनॉक 25/11/2021

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह०/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

ह०/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग
उ०प्र०शासन

,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

।

संख्या-157/2021/4061/तीस-3-21-15बी/2017टीसी, दिनॉक 25/11/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह०/-

(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।